संख्याः 378979 / 66953/FCD-IRFC/FSFC/1/ 2026

प्रेषक,

हिमांशु खुराना,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
31/62, राजपुर रोड,
देहरादून।

वित्त अनुभाग–1 :: देहरादून :: दिनांकः 16 मार्च, 2026

विषयः– **पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में नगर निगम–हरिद्वार को सी.सी.एम.एस. युक्त एल.ई.डी. लाईटों की दो कार्ययोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शहरी विकास विभाग द्वारा नगर निगम–हरिद्वार के क्षेत्रान्तर्गत सी. सी.एम.एस. युक्त एल.ई.डी. लाईटों की दो कार्ययोजनाओं हेतु कुमशः रू0 494.11 लाख एवं रू0 473.88 लाख, इस प्रकार कुल रू0 967.99 लाख की धनराशि पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा एल.ई.डी. लाईटों हेतु संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत स्वीकृत करने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– इस संबंध में पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में **"एल.ई.डी. लाईटों की स्थापना"** के अन्तर्गत **नगर निगम–हरिद्वार** की सी.सी.एम.एस. युक्त एल.ई.डी. लाईटों की दो कार्ययोजनाओं हेतु निम्न तालिका के कॉलम–3 में अंकित योजनाओं के सम्मुख कॉलम–(4) में अंकित कुल धनराशि रू0 96799.00 हजार (रू0 नौ करोड़ सड़सठ लाख निरानब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रथम किश्त हेतु कॉलम–3 में अंकित योजना के सम्मुख कॉलम–5 में अंकित कुल रू0 3,87,19,600.00 (रू0 तीन करोड सत्तासी लाख उन्नीस हजार छः सौ मात्र) की धनराशि संबंधित निकाय को आवंटित करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(रू0 हजार में)

निकाय का नाम	क्र.सं.	कार्ययोजना का विवरण	योजना की अनुमोदित धनराशि	प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि (40%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नगर निगम–हरिद्वार	1–	विभिन्न वार्डो में स्ट्रीट लाईट को मैनुअल ऑपरेटिंग के स्थान पर सेंटरलाइज्ड कॉन्ट्रोल मॉनिटरिंग सिंस्टम (CCMS) पैनल लगाये जाने का कार्य व 70 वॉट एल.ई.डी. कय की योजना	49411.00	19764.400
	2–	9MTR Casted designer double arm pole 120wx , 2 Smart LED light, 120 W x 2 IOT based smart solar Hybrid LED light, CCMS control Panel Divider shiv murti chowk bus stand to arya nagar chowk Haridwar Nagar Nigam Haridwar के संबंध में रू0 473.88 लाख का वित्तीय प्रस्ताव।	47388.00	18955.200
कुल योग			**96799.00**	**38719.600**

3– उपर्युक्त दो योजनाओं की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही हैः–

1. उपर्युक्त स्वीकृति पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में **"विशेष प्रयोजन अनुदान"** के अन्तर्गत "एल.ई.डी. लाईटों की स्थापना" हेतु संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत प्रदान की जा रही है।
2. IFMS प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप उक्त धनराशि निदेशक, शहरी विकास विभाग के निवर्तन पर रखी जा रही है। निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा उक्त धनराशि तत्काल संबंधित निकाय को हस्तांतरित की जायेगी।
3. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150) 2019/ 2025, दिनांकः 31 मार्च, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार के अनुसार रू0 2.00 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं हेतु 40–40–20 प्रतिशत में धनराशि अवमुक्त की जायेगी। प्रथम किश्त की धनराशि के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता

प्रमाण–पत्र, भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति मय फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराने के उपरान्त ही द्वितीय/तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4. शहरी विकास विभाग की विभागीय वित्त समिति के अनुमोदन तथा टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोंपरान्त अनुमोदित धनराशि के आधार पर नगर निगम–हरिद्वार को "एल.ई.डी. लाइटों की स्थापना" के अन्तर्गत सी.सी.एम.एस. युक्त एल.ई.डी. लाईटों की दो कार्ययोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उपर्युक्त शासनादेश दिनांकः 31.03.2025 में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रथम किश्त हेतु 40 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
5. **पंचम राज्य वित्त आयोग की अवार्ड अवधि दिनांकः 31.03.2026 को समाप्त हो जायेगी। तदोपरान्त उक्त कार्ययोजनाओं हेतु कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी। प्रश्नगत कार्यो हेतु अवशेष धनराशि की व्यवस्था शहरी विकास विभाग द्वारा नगरीय अवस्थापना विकास निधि अथवा संबंधित निकाय द्वारा स्वयं के संसाधनों से वहन कर उक्त कार्ययोजना को पूर्ण किया जायेगा।**
6. समय–समय पर शासन स्तर पर शहरी स्थानीय निकायों द्वारा क्रय किए जा रहे सोलर पैनल की गुणवत्ता एवं कीमत के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उक्त के दृष्टिगत इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुऐ तीसरे पक्ष से मूल्यांकन (Third-party evaluation) एवं Price Reasonability के संबंध में अनिवार्य रूप आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये वित्त विभाग को अवगत कराया जायेगा।
7. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150) 2019/2025, दिनांकः 31 मार्च, 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में निर्गत दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. **किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 (यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
9. स्वीकृत विस्तृत कार्ययोजना (डी.पी.आर.) के अनुसार ही धनराशि व्यय की जायेगी।
10. स्वीकृत धनराशि उसी कार्ययोजना पर व्यय की जायेगी जिसके लिये यह स्वीकृत की गई है।
11. स्वीकृत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. एल.ई.डी. लाईट की स्थापना के अन्तर्गत निकायों द्वारा कराये गये कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से वित्त विभाग को अवगत कराया जायेगा। यदि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि शेष रहती है, तो उसे तत्काल राजकोष के सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।
13. निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभगीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक/ वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक/ विभागीय अधिकारी इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी। वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई विचलन मान्य नहीं होगा।
14. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की अनुदान संख्याः 07 के लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02–राज्य वित्त आयोग–04–शहरी स्थानीय निकायों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
15. अलोटमेन्ट आई.डी. संलग्न है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

Digitally signed by
Himanshu Khurana
Date: 16-03-2026
13:05:58

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव।

संख्याः 378979 / 66953/FCD-IRFC/FSFC/1/ 2026, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
5. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड़।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
9. संबंधित मुख्य / वरिष्ठ, कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H26030070068
आवंटन पत्र दिनांक-16-MAR-2026

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	02-राज्य वित्त आयोग
	04-शहरी स्थानीय निकायों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	4

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	152752800	38719600	127252800	191472400
योग	152752800	38719600	127252800	191472400

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.3,87,19,600 (Rupees Three Crores Eighty Seven Lacs Nineteen Thousand Six Hundred Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2603:0007
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

K.K. Pandey
Section Officer
Finance Section-1
Govt. of Uttarakhand